CWJC No.414/2015 रणधीर कुमार सिंह बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–05.02.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में सकारण आदेश। 1118(11)
15.11.18

समादेश याचिका संख्या–414/2015, रणधीर कुमार सिंह बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–05.02.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, जिस पर न्यायादेश के आलोक में सकारण आदेश पारित किया जाना है। उक्त न्यायादेश में निम्नांकित निदेश दिये गये है:–

"whether the degree issued by the said institute has been recognized by the State Government/State Health Society is an issue to be looked into by the respondent authorities. It is agreed by the counsel for the petitioner as well as respondent no.7, that they would appear before respondent no.2 within fifteen days from today so as to enable determination of the issue whether the degree of the said institute is recognized by the State Government/State Health Society. The petitioner will be at liberty to make a detailed representation. After hearing the parties, respondent no.2 would be obliged to take a final decision as regards recognition of the degree of the said institute for the purpose of appointment as Physiotherapist in the State Government, expeditiously and preferably within a period of eight weeks from today in accordance with law. Physiotherapist would abide by the decision taken by respondent no.2"

2. अपने अभ्यावेदन में आवेदक रणधीर कुमार सिंह द्वारा प्रतिवादी संख्या–4 वन्दना कुमारी, सदर अस्पताल, समस्तीपुर में फिजियोथेरापिस्ट के पद पर ज्ञापांक–276, दिनांक–19.02.2014 द्वारा नियुक्ति को रद्द करते हुए उन्हें नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

3. राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना अपने विज्ञापन संख्या–13552, वर्ष 2013–14 के द्वारा एक वर्ष के लिए फिजियोथेरापिस्ट एवं अकुपेशनल थेरापिस्ट के पद पर सदर अस्पताल में नियुक्ति हेतु अर्हत्ता प्राप्त इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित की गई थी जिसपर आवेदक एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया था। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर सदर अस्पताल, समस्तीपुर में फिजियोथेरापिस्ट के पद पर वन्दना कुमारी नियुक्ति हेतु योग्य पाते हुए ज्ञापांक–276, दिनांक–19.02.2014 द्वारा नियुक्त किया गया।

4. उक्त नियुक्ति आदेश के विरूद्ध आवेदक रणधीर कुमार सिंह समादेश याचिका संख्या–414/2015 माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर किया। आवेदक का दावा है कि वन्दना कुमारी नियुक्ति की अर्हता नहीं रखते हैं जबकि आवेदक ही नियुक्ति हेतु सक्षम आवेदक है। अतः उन्हें उक्त पद पर नियुक्ति के हकदार है साथ ही आवेदक का दावा है कि वन्दना कुमारी की डिग्री मान्य नहीं है।

5. प्रतिवादी संख्या–7 श्रीमती वन्दना कुमारी, के द्वारा उल्लेख किया गया है कि वे Allahabad Agriculture Institute (Deemed University) के सत्र 2003–2007 की छात्रा थी इन्हें 2007 में डिग्री प्रदान की गई, इनका चयन विज्ञापन के सभी अर्हत्ता को पुरा करते हुए किया गया है। Allahabad Agricultre Institute (Deemed University) के मान्यता के संबंध में भारत सरकार के पत्र F-18-15/93-TDV/TAS-IV दिनांक–01.03.1995 एवं पत्र F-9-26/94-U3 दिनांक–15.03.2000 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि UGC का पत्र F No.6.1 (6) @ 2006 (CCP-4) दिनांक–14.05.2010 का आदेश इन पर लागू नहीं होता है क्योंकि वर्ष 2003 की छात्रा थी।

6. उक्त के आलोक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचिका राज्य स्वास्थ्य समिति को मंतव्य हेतु पृष्ठांकित की गई। अपर कार्यपालक निदेशक ने संचिका में स्पष्ट मंतव्य दिया है कि श्रीमती वन्दना कुमारी की डिग्री की वैधता IGNOU द्वारा अनुमोदित है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि Allahabad Agriculture University के Directorate of Distance Education Allahabad Agricultre Institute के Distance Education Council (IGNOU) से वर्ष 2007 तक मान्यता प्राप्त है एवं श्रीमति वन्दना कुमारी की Allahabad Agriculture university से प्रदत बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी की डिग्री वैध है।

15/11/2018
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:–11/फिजियो०(कोर्ट)–02/2015–1118(11)पटना, दिनांक– 15/11/2018

प्रतिलिपि :–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपि:– जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष/सिविल सर्जन –सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– रणधीर कुमार सिंह, पिता–स्व0 रामचन्द्र सिंह, ग्रा0–आलमपुर, पो0–गढ़सिसई, भाया–विद्यापति नगर, जिला–समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– वन्दना कुमारी, फिजियोथेरापिस्ट, सदर अस्पताल, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्वास्थ्य विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

15/11/2018
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।